कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी (मुख्यालय) माध्यमिक, सवाई माधोपुर

:: कार्यालय आदेश ::

राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड, जयपुर द्वारा आयोजित पुस्तकालयाध्यक्ष ग्रेड–III सीधी भर्ती परीक्षा–2022 में चयनित निम्न अभ्यर्थियों को निदेशक माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान बीकानेर के पत्रांकः– शिविरा–माध्य/संस्था/एफ–1/12102 (202) /सी.भ./पुस्तकालयाध्यक्ष ग्रेड–III/2021–2022 दिनांक 18.06.2023 के द्वारा नियुक्ति प्रदान करने हेतु इस कार्यालय को आवंटित किये गए अभ्यार्थियों को **पुस्तकालयाध्यक्ष ग्रेड–III** के पद पर राजस्थान सिविल सेवा (पुनरीक्षित वेतनमान) नियम–2017 के अनुसार **लेवल–10** में प्रोबेशनर ट्रेनी (परीवीक्षाधीन प्रशिक्षाणार्थी) के रूप में दो वर्ष के प्रोबेशन पर नियमानुसार देय नियत मानदेय **23700/–रू. (अक्षरे तेईस हजार सात सौ रुपये मात्र) प्रतिमाह** /विद्यमान (पूर्व से सेवारत होने की स्थिति विद्यमान वेतन) पर दिनांक **23–06–2023** को आयोजित परामर्श कैम्प के माध्यम से निम्नाकिंत अभ्यर्थियों को **पुस्तकालयाध्यक्ष ग्रेड–III** के पद पर उनके नाम के सम्मुख अंकित विद्यालय में रिक्त पद पर निम्नांकिंत शर्तो के अध्यधीन नियुक्त कर पदस्थापित किया जाता है।

1. परीवीक्षाधीन प्रशिक्षण (प्रोबेशनर ट्रेनी) की अवधि में नियत मानदेय के अतिरिक्त किसी अन्य प्रकार के भत्तें यथा महंगाई भत्ता, मकान किराया भत्ता, शहरी क्षतिपूर्ति भत्ता, महंगाई वेतन(डीपी), विशेष वेतन, बोनस आदि देय नहीं होगें।
2. परीवीक्षाधीन प्रशिक्षण (प्रोबेशनर ट्रेनी) की अवधि में राज्य सरकार द्वारा निर्धारित कटौतियॉ की जावेगी।
3. परीवीक्षाधीन प्रशिक्षण (प्रोबेशनर ट्रेनी) की अवधि को वार्षिक वेतन वृद्धि के लिए गणना योग्य नहीं माना जायेगा।
4. परीवीक्षाधीन प्रशिक्षण अवधि में इन्हे कलेन्डर वर्ष में केवल 15 दिन का आकस्मिक अवकाश वित्त विभाग के आदेश क्रमांक एफ.12(9)एफ.डी.(रूल्स)2017 जयपुर दिनांक 30.10.2017 के अनुसार देय होगा।

सम्बन्धित संस्था प्रधान इनको कार्यग्रहण करवाने से पूर्व निम्नाकिंत कार्यवाही आवश्यक रूप से सम्पादित करेगें:–

1. अनावश्यक लाभ रोकने के उद्देश्य से आवेदन पत्र में चस्पा फोटो से कार्यग्रहण करने वाले अभ्यर्थी से मिलान कर लें और यह सुनिश्चित कर ले की जिस अभ्यर्थी ने चयन बोर्ड की परीक्षा दी है, वही अभ्यर्थी पुस्तकालयाध्यक्ष ग्रेड–III पद पर कार्यग्रहण करें, एवं नियुक्ति/पदस्थापन आदेश पर अभ्यर्थी का फोटो चस्पा कर प्रमाणित करें।
2. नियुक्ति पर कार्यग्रहण करवाने से पूर्व निम्नानुसार सम्बन्धित अभ्यर्थी का सम्बन्धित जिला पुलिस अधीक्षक द्वारा प्रदत्त चरित्र सम्बन्धित नवीनतम सदाचरण रिपोर्ट एवं सक्षम चिकित्सा अधिकारी द्वारा प्रदत्त नवीनतम स्वास्थ्य प्रमाण पत्र प्राप्त किया जाना सुनिश्चित किया जावें, इनके अभाव में किसी भी अभ्यर्थी को नियुक्ति पर कार्यग्रहण नही करवाया जायें। पूर्व से राजकीय सेवा में सेवारत कार्मिकों हेतु यह आवश्यक नहीं है।
3. कार्यग्रहण करवाने से पूर्व अभ्यर्थी से उसकी पात्रता, आयु एवं आरक्षण सम्बंधित समस्त दस्तावेजों की जॉच आवश्यक रूप से कर लेवें।
4. कार्यग्रहण करवाने से पूर्व राज्य सरकार की अधिसूचना क्रमांक 7 (1)डीओपी/ए–II/95 दिनांक 08.04.2003 के अनुसार सम्बंधित अभ्यर्थी से दिनांक 01.06.2002 को अथवा उसके पश्चात उत्पन्न संतानों के फलस्वरूप कुल संतानों की संख्या 02 से अधिक नहीं होने सम्बंधित आशय का आवश्यक शपथ पत्र 50/–रू. के नॉन ज्यूडिशियल स्टाम्प पर आवश्यक रूप से प्राप्त किया जावें।
5. विवाहित अभ्यर्थियों के मामले में विवाह पंजीयन प्रमाण पत्र अथवा यदि विवाह, विवाह पंजीयन अनिवार्य करने सम्बंधित प्रावधान लागू होने से पूर्व हुआ है, तो तत्संबंधी आशय कात्र 50/–रू. के नॉन ज्यूडिशियल स्टाम्प पर आवश्यक रूप से प्राप्त किया जावें।
6. कार्यग्रहण करवाने से पूर्व संबंधित अभ्यर्थी से कार्मिक विभाग की अधिसूचना क्रमांक प.7(3)कार्मिक/क–2/06 पार्ट दिनांक 04.10.2013 के अनुसार धूम्रपान/मद्यपान एवं गुटखा सेवन नहीं करने सम्बंधी वचनबद्धता **(undertaking)** निर्धारित प्रपत्र में प्राप्त किया जावें।
7. कार्यग्रहण करवाने से पूर्व संबंधित अभ्यर्थी से कार्मिक विभाग के परिपत्र क्रमांकः प.7(13)कार्मिक/क–2/23दिनांक 11.05.2013 के अनुसार भारत के संविधान के प्रति निष्ठा एंव राष्ट्र की प्रभूता, अखण्डता को अक्षुण्ण बनाये रखने तथा पद के कर्तव्यों को राजनिष्ठा, ईमानदारी एंव निष्पक्षता से किये जाने सम्बन्धी शपथ पत्र निर्धारित प्रारुप में प्राप्त किया जाकर सेवा अभिलेख में संकलित किया जावे।
8. अभ्यर्थी से दहेज नही लियें जाने का स्वः घोषणा पत्र प्राप्त किया जाए।
9. कार्यग्रहण कराने से पूर्व आवेदन पत्र के साथ संलग्न दस्तावेजों का मिलान मूल दस्तावेजों से कर सही पाये जाने पर ही कार्यग्रहण करावें। मिलान में यदि कोई भिन्नता की स्थिति पाई जावे तो कार्यग्रहण नहीं कराया जावें तथा उसके सम्बंध में पूर्ण टिप्पणी सहित इस कार्यालय को तत्काल सूचना भिजवाई जावें।
10. कार्यग्रहण कराने से पूर्व समस्त अभ्यर्थीयों से 50/–रू. के नॉन ज्यूडिशियल स्टाम्प पर इस आशय का शपथ पत्र पूर्व में प्राप्त करेगें की यदि इनके द्वारा अर्जित शैक्षिक/प्रशैक्षिक योग्यता वैध व मान्य नहीं पाई तो उन्हें प्रदत्त यह नियुक्ति निरस्त करने एवं उनके विरूद्ध कार्यवाही करने सम्बंधी अधिकार विभाग के पास सुरक्षित रहेगा। ऐसी स्थिति में तत्काल नियुक्ति निरस्त की जा सकेगी तथा नियमानुसार कानूनी कार्यवाही अमल में लाई जावेगी।

23.6.23

कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी (मुख्यालय) माध्यमिक, सवाई माधोपुर

11. अन्य पिछडा वर्ग में चयनित अभ्यर्थियों हेतु राज्य सरकार द्वारा अधिकृत सक्षम अधिकारी स्तर से जाति प्रमाण पत्र नियुमानुसार एवं निर्धारित प्रपत्र में जारी किया होना चाहियें एवं नियमानुसार सक्षम अधिकारी द्वारा यह प्रमाणित किया गया हो की "अपवर्जन का नियम इन पर लागू नहीं होता है अर्थात अनुसूची में वर्णित व्यक्ति क्रीमिलेयर का नही है तथा उक्त तथ्य सक्षम अधिकारी द्वारा काटा हुआ नहीं होना चाहिए। यदि कोई अभ्यर्थी क्रीमिलेयर की श्रेणी में आता है तो अभ्यर्थी को कार्यग्रहण नहीं कराया जावें तथा उसके सम्बंध में पूर्ण टिप्पणी सहित इस कार्यालय को तत्काल सूचना भिजवाई जावें।

12 अन्य पिछडा वर्ग का प्रमाण पत्र राज्य सरकार द्वारा अधिकृत सक्षम अधिकारी द्वारा नियमानुसार एवं निर्धारित प्रपत्र में प्रदत्त नवीनतम मान्य प्रमाण पत्र माता–पिता की आय के आधार पर जारी किया हुआ होना चाहिए। महिला आवेदकों के मामलें में यदि पति के नाम एवं पति की आय के आधार पर जारी किया हुआ हो तो यह प्रमाण पत्र मान्य नहीं है, परन्तु अभ्यर्थी अपने माता–पिता की आय के आधार पर प्रमाण पत्र जो कि विवाह के पश्चात बना हुआ प्रस्तुत करें तो ही मान्य होगा। ऐसा नहीं होने पर अभ्यर्थी को कार्यग्रहण नहीं कराया जावें। तथा आवेदन पत्र इस कार्यालय को वापस लौटा दिया जावे। उपरोक्तानुसार अन्य पिछडा वर्ग के प्रमाण पत्र की सुनिश्चितता आप अपने स्तर पर करने के उपरान्त ही अन्य पिछडा वर्ग के आवेदक को कार्यग्रहण कराया जावें। यदि कोई अभ्यर्थी क्रीमिलेयर की श्रेणी में आता हैं तो अभ्यर्थी को कार्यग्रहण नहीं कराया जावें। तथा उसके सम्बंध में पूर्ण टिप्पणी सहित इस कार्यालय को तत्काल सूचना भिजवायी जावें।

13. चयनित अभ्यर्थी की सूची में अभ्यर्थी के वर्ग इत्यादि में अन्तर पाया जाता है तो ऐसे अभ्यर्थी को कार्यग्रहण नहीं करवाया जाकर उसका आवेदन पत्र इस कार्यालय को भिजवावें।

14. कार्यग्रहण करवानें से पूर्व अभ्यर्थी से 50/–रू. के नॉन ज्यूडिशियल स्टाम्प पर यह शपथ पत्र लेवें की उसके द्वारा प्रस्तुत सूचनाएँ दस्तावेज सही हैं। इनके त्रुटि पूर्ण, जाली अथवा कूटरचित पाये जाने पर उसकी नियुक्ति निरस्त की जा सकेगी एवं उसके विरूद्ध विधिक कार्यवाही करने हेतु विभाग स्वतंत्र होगा।

इन्हें उक्त नियुक्ति पर दिये गये पदस्थापित स्थान पर **दिनांक 14.07.2023 तक** कार्यग्रहण करना अनिवार्य होगा, उक्त दिनांक तक कार्यग्रहण नहीं करने पर यह आदेश स्वतः निरस्त माना जावेगा। सम्बन्धित संस्था प्रधान इन्हें शालादर्पण के माध्यम से कार्यग्रहण करवाकर सूचना तत्काल इस कार्यालय को भिजवाया जाना सुनिश्चित करें।

संलग्न :– आदेश संख्या 01 (पृष्ठ संख्या 01)

23-06-23

(नाथू लाल खटीक)
जिला शिक्षा अधिकारी
(मुख्यालय) माध्यमिक
सवाई माधोपुर

क्रमांकः–जिशिअ/मु0मा0/स.मा./संस्था–1/सी.भ./फा–पु.अ.ग्रेड–III/2021–22/2023/36 दिनांक 23.06.2023

प्रतिलिपि : निम्न को सूचनार्थ एंव आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है–

01. विशिष्ट सहायक, माननीय शिक्षा मंत्री, राजस्थान सरकार, जयपुर।
02. विशिष्ट सहायक, माननीय राज्य शिक्षा मंत्री, राजस्थान सरकार, जयपुर।
03. प्रमुख शासन सचिव, शिक्षा (ग्रुप–2 विभाग), राजस्थान, जयपुर।
04. शासन उप सचिव, शिक्षा (ग्रुप–2 विभाग), राजस्थान, जयपुर।
05. शासन उप सचिव, कार्मिक (क–2 विभाग), राजस्थान, जयपुर।
06. अध्यक्ष, राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड, जयपुर।
07. निदेशक, माध्यमिक शिक्षा राजस्थान बीकानेर।
08. संयुक्त निदेशक (स्कूल शिक्षा) भरतपुर, सम्भाग – भरतपुर।
09. मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी एंव पदेन जिला परियोजना समन्वयक सवाई माधोपुर।
10. मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी एंव पदेन बी0आर0सी0एफ0 समग्र शिक्षा अभियान...
11. सम्बन्धित संस्था प्रधान को प्रेषित कर लेख है कि मूल आवेदन पत्र आपके परिक्षेत्र के मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी को प्रेषित किए जा रहे हैं, आपसी समन्वय से आवेदन पत्र प्राप्त कर लेवें।
12. सम्बन्धित अभ्यर्थी ....(पंजीकृत डाक द्वारा)
13. सिस्टम एनालिस्ट संयुक्त निदेशक माध्यमिक शिक्षा राज0 बीकानेर को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु।
14. नोटिस बोर्ड, कार्यालय हाजा।
15. रक्षित पत्रावली।

जिला शिक्षा अधिकारी
(मुख्यालय) माध्यमिक
सवाई माधोपुर

कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी (मुख्यालय) माध्यमिक सवाई माधोपुर

क्रमांक:–जिशिअ / मुख्या. / माध्य. / स.मा. / संस्था–1 / सी.भ. / फा–पुस्तकालयध्यक्ष ग्रेड–III / 2021–22 / 2023 / 36 दिनांक :– 23–06–2023

S.NO.	ROLL NO.	MERIT NO.	NAME	FNAME	DOB	CATE	H CATE	GENDER	SEL CATE	ADDRESS	POSTING PALACE	BLOCK	PHOTO
1	661623	1682	DATAR SINGH RATHORE	PREM SINGH RATHORE	15-Nov-84	GEN	EX	Male	GEN	PLOT NO 374 LIONS LANE COLONY WEST SIRSI ROAD PANCHYAWALA District JAIPUR PINCODE&"302034	MAHATMA GANDHI GOVT. SCHOOL MALARANA CHAUR (212803)(08100209201)	MALARNA DOONGAR	
2	661769	259	ANITA YADAV	BHAGIRATH PRASAD YADAV	14-Apr-92	OBC		Female	OBC	VILL CHAKROJDA POST KHANNIPURA - District JAIPUR PINCODE&"303701	GOVT. SENIOR SECONDARY SCHOOL UMRI (217834)(08100311001)	GANGAPUR CITY	
3	616369	96	RAVINDRA KUMAR MEENA	ONKAR LAL MEENA	10-May-95	ST		Male	GEN	PLOT NO 16 MEENA COLONY SAWAI MADHOPUR - District SAWAIMADHOPUR PINCODE&"322001	GOVT. SENIOR SECONDARY SCHOOL SHYAMPURA (217909)(08100502109)	SAWAI MADHOPUR	
4	632030	125	AJAYPAL SINGH	DHANNA LAL	12-Dec-84	OBC		Male	OBC	VPO BAWARI VIA REENGUS - District SIKAR PINCODE&"332411	GOVT. SENIOR SECONDARY SCHOOL MEENA BARODA (212833)(08100301001)	GANGAPUR CITY	
5	613531	127	SANTOSH YADAV	POKHAR MAL YADAV	01-Nov-96	OBC		Male	OBC	PLOT NO.2 CENTRAL COLONY ROAD NO.9 VKI AREA - District JAIPUR PINCODE&"302013	GOVT. SENIOR SECONDARY SCHOOL RAMGARH MURADA (217828)(08100309001)	GANGAPUR CITY	
6	622336	153	SURENDRA KUMAR SHARMA	KAILASH CHANDRA SHARMA	30-Aug-83	GEN-EWS		Male	GEN-EWS	KAKRALA BHAWAN LAMBA PARA LALSOT - District DAUSA PINCODE&"303503	GOVT. SENIOR SECONDARY SCHOOL SANKARA (212821)(08100216301)	MALARNA DOONGAR	
7	639163	592	VIJENDRA KUMAR	CHHINNA RAM	08-Jul-94	SC		Male	SC	VPO DHANI KUMHARAN TARANAGAR - District CHURU PINCODE&"331304	GOVT. SENIOR SECONDARY SCHOOL KHANDEEP (212832)(08100300901)	GANGAPUR CITY	

23.06.23

(नाथू लाल खटीक)
जिला शिक्षा अधिकारी
(मुख्यालय) माध्यमिक
सवाई माधोपुर